न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 53/2018

बउनवान

रविन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह आयु 40 वर्ष जाति–राजपूत निवासी–गोदावरी, उप तहसील सीसवाली, जिला–बारां(राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री गोविन्द सिंह लक्षावत, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

निर्णय दिनांक– 27.05.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 25.09.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–उदपुरिया, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 48 रकबा 2.40 हैक्टर किस्म–बंजड सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर जप्ती,बेदखली, 600/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं जवाबदेहीं का अवसर प्रदान नहीं किया है, एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली का आदेश दिनांक 25.09.2017 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा पूर्व से छोड़ रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त निर्णय हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास करके साईक्लोस्टाइल परफोर्मा पर निर्णय पारित किया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। अपीलांट ने बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.09.2017 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 325/16 निर्णय दिनांक 17.11.2016 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी बंजड सिवायचक भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 48 रकबा 2.40 है0 ग्राम गोदावरी से पूर्व में मिसल नम्बर 325/16 निर्णय दिनांक 17.11.2016 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 388/17 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official